स्मरण पत्र-I

सूचना का अधिकार
अधिनियम-05

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।

क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2019/526 **दिनांक** 16/5/19

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर, अजमेर,
कोटा, भरतपुर, उदयपुर,
जोधपुर

विषय	**सूचना के अधिकार अधिनियम-05 की धारा 25 के तहत वर्ष 2017-18 (अप्रेल 2017 से दिसम्बर 2018) की सूचना उपलब्ध कराने के कम में।**
संदर्भ	**निदेशालय के पूर्व पत्रांक 418 दिनांक 12.4.19 तथा के कम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 (अप्रेल 2017 से दिसम्बर 2018) का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। जिसके लिए धारा 25 (3) के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है। इस कम में आप अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सूचना संकलित कर एवं समस्त सूचना को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के प्रारूप अनुसार (प्रारूप संलग्न) ईकजाई कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। जिससे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। **परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक प्रारूप पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। इस विलम्ब का कारण स्पष्ट किजिये। आप द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की सूचना नही दिया जाना राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासिनता को दर्शाता है। क्यों ना आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।**

आप सभी को अवगत करवाना उचित होगा कि मात्र जोन बीकानेर ने ही सूचना प्रारूप अनुसार उपलब्ध करवाई है। आप सभी जोन बीकानेर के अनुसार ही प्रारूप संलग्न कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। (बीकानेर प्रारूप संलग्न)

उक्त सूचना आप रजिस्टर्ड/ई मेल द्वारा 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपलब्ध करवायें।

लोक सूचना अधिकारी,
एवं
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।

क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2019/ **दिनांक**

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. शासन उप सचिव (समन्वय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.38(154)चिस्वा/ग्रुप-2/2014/जयपुर दिनांक 27.3.19 के कम में पुनः सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी,
एवं
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर–जोन, बीकानेर

क्रमांकः–सामान्य/जोन/2019/ 2303-04 दिनांकः– 29/4/19

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
एवं निदेशक(जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

DM&HS(PH)
30/4/19

NO, RTI

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम–05 की धारा 25 के तहत वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018) की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

संदर्भ– आपके पत्रांक ई/राजप/सू0अ0–05/एफ–385(15)/2019/418 दिनांक 12.04.19 एवं 479 दिनांक 29.04.19 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–05 की धारा 25 के तहत वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018) की सूचना प्रारूप 1 व 2 में संदर्भित पत्र के निर्देशों की पालना में इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संकलित सूचना पत्र के साथ संलग्न कर विशेष संदेशवाहक के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (दो)

(डा0 एच.एस.बराड़)
संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
बीकानेर–जोन, बीकानेर

क्रमांकः–सामान्य/जोन/2019/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ हेतुः–

1– श्री अनिल कुमार खत्री, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय हाजा को पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
बीकानेर–जोन, बीकानेर

प्रारूप–1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन

समयावधि वर्ष 2017–18(अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018)

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सी.एम.एच.ओ. बीकानेर							
138	117	21	81	14	17	5	1584/-
2. सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर							
194	159	35	188	0	6	0	3070/-
3. सी.एम.एच.ओ हनुमानगढ							
93	52	41	84	5	4	0	2782/-
4. सी.एम.एच.ओ. रतनगढ							
168	122	46	143	19	6	0	1570/-
5. पी.एम.ओ. बीकानेर							
13	9	4	13	0	0	0	90/-
6. पी.एम.ओ. श्रीगंगानगर							
131	118	13	102	10	19	0	2040/-
7. पी.एम.ओ. हनुमानगढ							
83	83	0	83	0	0	0	1110/-
8. पी.एम.ओ. रतनगढ							
28	0	28	13	0	15	0	266/-
9. पी.एम.ओ. चुरू							
237	0	0	228	0	6	3	8122/-
10. पी.एम.ओ. सुजानगढ							
19	0	19	19	0	0	0	190/-

संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
बीकानेर जोन बीकानेर

प्रारूप–2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण

समयावधि वर्ष 2017–18(अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018)

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित (संख्या)
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4
1. सी.एम.एच.ओ. बीकानेर			
14	14	0	0
2. सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर			
9	4	5	0
3. सी.एम.एच.ओ हनुमानगढ			
25	18	7	0
4. सी.एम.एच.ओ. रतनगढ			
4	4	0	0
5. पी.एम.ओ. बीकानेर			
0	0	0	0
6. पी.एम.ओ. श्रीगंगानगर			
7	7	0	1
7. पी.एम.ओ. हनुमानगढ			
0	0	0	0
8. पी.एम.ओ. रतनगढ			
0	0	0	0
9. पी.एम.ओ. चुरू			
3	3	0	3
10. पी.एम.ओ. सुजानगढ			
0	0	0	0

[illegible]